कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
l:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1758 / FP/UK/ROAD/49541/2020 :देहरादून:दिनांकः 25 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोशणा संख्या–70/2017 के अन्तर्गत विकासखण्ड कीर्तिनगर के ग्राम–धारी से बाग्यों तक मोटर मार्ग हेतु 0.991 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/78/2021/ एफ0सी0/436 दिनांक 29–07–2021

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 2235/12–1 दिनांक 29.04.2022 एवं पत्रांक 1501/12–1 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि परियोजना 01 है0 से कम का प्रस्ताव है अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि प्रस्तावित नही है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–2)**
3. **शर्त संख्या–3 प्रतिपूरक वनीकरणः–**
   (क) शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1982 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 7,35,128.00 रूपये ऑनलाईन चालान में माध्यम से जमा किया जा चुका है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)**
   (ख) शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस–पास ग्राम–बाग्यों के सरक्याणा कक्ष संख्या–06 में रिक्त पडे स्थानों पर 1.982 है0 वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का नाम एवं कॉडिनेटस् सहित गूगल मैप एवं प्रॉक्कलन की प्रति संलग्न की प्रेषित की जा रही है।**(संलग्न–4)**
4. **शर्त संख्या–4** शर्त के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना 1 है0 से कम का प्रस्ताव है अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि प्रस्तावित नही है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5)**
5. **शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**
   (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 0.991 हे0 वनभूमि हेतु 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 08,37,395.00 मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गई है।**(संलग्न–6)**
   (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तावक विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रत्यावर्तित वन भूमि में न्यूनतम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्तावनुसार 81 वृक्ष एवं 34 sappling से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत भी जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–8)**
7. **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मलवा निस्तारण क्षेत्र में कोई भी वृक्ष विद्यमान नही है। अतः वृक्षों की कटाई नही की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**
8. **शर्त संख्या–8** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा की गई है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)**
9. **शर्त संख्या–9** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा ग्राम–धारी से बाग्यों तक मोटरमार्ग की विधिवत स्वीकृति से पूर्व गाईड लाईन के पैरा–11.2 के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्राप्त की जायेगी तो ऐसी अनुमति के 01 वर्ष पश्चात अथवा विधिवत स्वीकृति से पूर्व कोई भी गतिविधियाँ नही की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
10. **शर्त संख्या–10** वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
11. **शर्त संख्या–11** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढायी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**

12. **शर्त संख्या–12** के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
13. **शर्त संख्या–13** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो पृथक से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
14. **शर्त संख्या–14** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**
15. **शर्त संख्या–15** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)**
16. **शर्त संख्या–16** के अनुपालन में मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
17. **शर्त संख्या–17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
18. **शर्त संख्या–18** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
19. **शर्त संख्या–19** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)**
20. **शर्त संख्या–20** के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**
21. **शर्त संख्या–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्तो का उल्लंघन नही किया जायेगा, यदि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया जाता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)**
22. **शर्त संख्या–22** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)**
23. **शर्त संख्या–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट सीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें तथा वन विभाग के पर्यवेक्षक में परियोजना की लागत पर उक्त क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातियों के पौधो लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवा क्षेत्र को यथास्थान रखने हेतु दवारे बनाई जायेगी, निस्तारण सीलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–25)**
24. **शर्त संख्या–24** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिय/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–26)**
25. **शर्त संख्या–24** के अनुपालन में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

24/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

संख्या /FP/UK/ROAD/49541/2020तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेतीको उनके पत्रांक 2235/12–1 दिनांक 19.04.2022 एवं 1501/12–1 दिनांक 18.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,